JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.JLPER.com

Published by iSaRa Solutions

महिला सशक्तिकरण एंव महिला अधिकार की अवधारणा

डॉ. ओमप्रकाश सोलंकी

समान्य अर्थ में महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिलाओ को सशक्त बनाना है , किन्तु व्यापक तात्पर्य समाज में महिलाओ का तुलनात्मक रूप से समाजिक, आर्थिक , राजनीतिक,प्रस्थिति में नियाजित ढंग से उत्तरत्तर विकास है। प्रभा आपटे के अनुसार ''किसी भी समाज का स्वरूप वहॉ की महिलाओ की स्थिति पर निर्भर करता है। यदी उसकी स्थिति सुदृढ एव सम्मानजनक है। तो समाज भी सुदृढ और मजबुत होगा इतिहास गवहा है। जब–जब समाज या राष्ट्र ने नारी को अवसर तथा अधिकार दिया है,जब–तब नारी ने विश्व के समक्ष श्रेष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।[1] जितेन्द्र कुमार पाण्डेय के अनुसार ''महिला सशक्तिकरण का अभिप्रायः महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनैतिक, मानसिक,सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज व राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है।''[2]यह पूर्ण रूप से सच है कि राष्ट्रीय एकता व अखण्डता में महिलाओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। आदी काल में मैत्रिय, गार्गी मैरी कॉम,मीरा कुमारी, आदी कई महिलाओ ने विभिन्न क्षेत्रो में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। यह तस्वीर का एक सुखद पहलु है तस्वीर का दुःखद पहलु यह है कि हमाने समाज में आज भी महिलाओ को भोग की एक वस्तु समझा जाता है उन पर तरह–तरह के अत्याचार किये जाते है। उसकी देह की निलामी की जाती है। इसी कारण आज हमें महिला सशक्तिकरण प्रत्यक्ष कर्ण पटल पर सुनाई देता है और मस्तिष्क में बिजली कौधं जाती है मस्तिषक में एक प्रश्न उभर ने लगता है कि महिला सशक्तिकरण क्या है। समाज में अक्समात यह विचार कहॉ से आया । इसका उदभव् और विकास कहॉ हुआ

वास्तव में यदी विशलेषण किया जाये तो महिला सशक्तिकरण का समान्य सा अर्थ निकलता है सत्ता प्रतिष्ठानो में महिलाओ की सक्रिय भागिदारीं, निर्णय लेने की क्षमता विकास । महिला सशक्तिरण उन्हे नय क्षतिज दिखाने का प्रयास है जिसमे वे नयी क्षमता नयी ऊर्जा के साथ अपने को नये रूप मे परिभाषित करें। सशक्तिकरण का अर्थ है किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता । महिला सशक्तकरण का अर्थ उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर तरीको को

चुनौती में समान अवसर,राजनीतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी,समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा का अधिकार।

महिलाओ का सशक्तिकरण का मूल उद्देश्य है महिलाओ को मुख्य धारा में लाना है। जिससे सत्ता एव राजनीति के निर्धारण में भागीदार बनाया जा सके। यह महिलाओ को पुरूषो के प्रभुत्व और शोषण से मुक्ति की आकांशा है। यह सामाजिक आन्दोलन है जिसका आधार महिला महिला–पुरूष के मध्य सामाजस्य है कि न कि दोनो के मध्य संधर्ष।[3] यह सभी महिलाओ का आन्दोलन है जिसके माध्यम से महिलाओ में जागृति आई है और वह शक्ति प्राप्त कर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ससाधनो पर नियत्रण करने की क्षमता का विकास करती है। यह उनके जीवन की हीन भावना को समाप्त करता है। सामाजिक सशक्तिकरण के संबध में आफिस ऑफ द युनाईटेड नेशसं हाई कमीशन फॉर हुयमन राइॅटस ने लिखा है ' यह महिलाओ की शक्ति तथ काबियलत देता है ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधारकर अपने अपने जीवन की दशा को स्वय निर्धारित कर सके।[3] यह वह प्रक्रिया है जो महिलाओ को सत्ता की कार्यशैली समझने की समझ देता है,ताकि वह सत्ता के स्त्रोतो को समझ कर सत्ता के स्त्रोतो पर नियत्रण कर सके। व्यापक और व्यवहारिक तौर पर यदी महिला सशक्त्किरण को समझा जाये तो कहॉ जा सकता है महिला सशक्तिकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें महिलाओ के लिए सर्व–समपन्न और विकसीत करने हेतु ,नये विकल्प हो ,नये सम्भावना के द्वार खुले हो,भोजन ,पानी,शिक्षा,स्वास्थ्य,शिशु पालन,कानुनी हक,और प्रतिभा के विकास हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त हो।[4]

महिला सशक्तिकरण अवधारणा का विकास :–

महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहला कदम लोकतात्रिक प्रक्रिया में भागीदारी से प्राप्त हुआ है इस दिशा में सर्वप्रथम कदम न्यूजीलैण्ड की महिलाओ को सन् 1917 मताधिकार की प्राप्ति हुई तत्पश्चात अमरीका में 1920, फ्रासं मे 1944 में मताधिकार प्राप्त हुआ। सयुक्त राष्ट्रसधं ने 1948 में सभी सदस्य राष्ट्रो को मानवधिकारो की सार्वभौमिक धोषण की। सिविल और राजनैतिक अधिकारो पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसविदा को सयुक्त राष्ट्रसंध की महासभा ने 1966 में स्वीकृती प्रदान की और 1966 में यह लागू कर दी गई। महिलाओ पर सर्वप्रथम विश्व सम्मेलन 1975 में मैक्सिको मे हुआ,जिसका प्रमुख विषय समानता,विकास तथा शान्ति था।

सयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1975 को महिला वर्ष धोषित किया जिसको टिब्युन के नाम से भी जानाा जाता है। इसमें महिला समानता के लिए महिला महिला दशक (1975–1985) की धोषणा की गई। महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई। बीजिगं धोषणा में महिलाओ के सशक्तिकरण हेतु शक्तिशाली सगठन के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया जिसमे सशक्तिकरण को मानवना से जोडकर देखा गया।

विश्व में जैसे–जैसे लोकतात्रिक प्रक्रिया सदृढ होती गयी महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया उतनी ही मजबुत होती गयी किन्तु यह दुःखद पहलु हमे स्वीकार करना ही पडेगा कि महिला सशक्तिकण की आवज उन देशो में अभी भी बेमानी है कटटरता का बोलबाल है अथवा जहॉ लोकतात्रिक प्रक्रिया का अभाव है।

भारत में महिला सशक्तिकरण :–

पिछले कई दशको से महिला सशक्तिकरण शब्दावली प्रयोग अत्यधिक प्रचलन में है। भारत के विशेष संदर्भ में यदी विशलेषण किया जाये तो ज्ञात होता है कि यहॉ आजादी के पश्चात सरकारी कार्यक्रमो और योजनाओ में महिला कल्याण कार्यक्रमो में पिछले तीन दशको तक ''महिला कल्याण शब्दाली का प्रयोग किया जाता रहा। किन्तु 80 के दशक में इसमें बदलाब किया गया इसके स्थान पर महिला विकास शब्दावली का प्रयोग किया जाने लगा बाद के वर्षो में (90 दशक में) इसके स्थान पर महिला समानता शब्दावली का प्रयोग किया गया और महिलाओ को समानता का अधिकार दिलाने की बात की जाने लगी। 90 के दशक के अन्तिम चरणो मे चारो और महिला सशक्त्किरण और महिला अधिकारो की बात कीजाने लगी। किन्तु यदी इन शब्दो के अर्थो पर गौर किया जाए तो ज्ञात होता है कि इन शब्दो में महिला सशक्तिकरण शब्द ही अधिक सार्थक और उपयुक्त है जिसमें अधिकारो और शक्तियो का स्वाभाविक रूप से कुशलता के साथ समावेश हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है।

प्राचीन काल महिलाओ के लिए स्वर्ण युग था पुरूष प्रधान के समाज होने के बावजुद महिलाओ को समान की दृष्टि से देखा जाता था। वे पुरूषो से कम नही थी शतपथ ब्रहाण ग्रथ में लिख है ''पत्नि पति की आत्मा का आधा भाग है''[5]इसलिए मनुष्य जब स्त्री को पत्नि के रू॰ में प्राप्त नही कर लेता तब तक वह प्रजोत्पादन न

होने अपूर्ण रहता है।[5]वास्तव में जो स्थान नारी को उस समय प्राप्त था वे स्थान आज आधुनिक समय में भी नारी को प्राप्त नही है। उस स्थान को प्राप्त करना आज नारी का स्वपन्ना है। किन्तु यह स्थिति अधिक समय तक नही रही। उस समय महिला संबधि कुरीतियो ने जन्म नही लिया था।

उत्तर वैदिक समाज पुत्री को पुत्र के समकक्ष अधिकारो की प्राप्ति थी। राजपुत काल में भी स्त्रीयो की स्थिति अच्छी कही जा सकती है अनेक अवसरो पर राजपुत महिलाएअस्त्र शस्त्रो से सुसज्जित होकर लडाई के लिए जाती थी किन्तु समाज में सती प्रथा का प्रचलन प्रारम्भ हो गया था।

मध्यकाल में महिलाओ की स्थिति में गिरावट आ गयी थी उनको किसी प्रकार की स्वतत्रंता प्राप्त नही थी इस काल में महिलाए मात्र उपभोग की वस्तु बन कर रह गयी थी उनको किसी प्रकार की कोई स्वतत्रता प्राप्त नही थी । इस काल में कई कुप्रथा ने जन्म लिया जैसे पर्दा प्रथा,सतीप्रथा , बाल–विवाह आदी। इस काल में स्त्रियो का समाजिक ,नैतिक,व शारारिक पतन प्रारम्भ हो गया। जहॉ वैदीक काल में लडकी को शुभ समझा जाता था वही इस युग में लडकी को अभिशाप समझा जाने लगा । भारत में मुगलो के प्रवेश के कारण महिलाओ की स्थिति और दयानीय हो गयी। आक्रमण कारीयो से रक्षा करने हेतु पर्दा प्रथा को लागू कर दिया गया पर्दा प्रथा का विकास इस सीमा तक कर दिया गया कि परीवारके अन्य सदस्य तो दूर पति स्वंय भी अन्य किसी के सामने अपनी पत्नी का मुह नही देख सकता था।बाल–विवाह ,सती प्रथा ,बहु विवाह ने विराट रूप धारण कर लिया।

अग्रजी शासन के दौरान अनेक समाज सुधार को ने महिलाओ की स्थिति को सुधारने के प्रयास किये और अग्रेज सरकार को मजबुर किया कि वह महिलाओ की स्थिति को सुधारने के लिए कानुनो का निर्माण करे जिसके फलस्वरूप 1829 सतीप्रथा निषेध अधिनियम पारित किया गया।जिसके माध्यम से विधवा स्त्री के अधिकारो की रक्षा की गई।

आजादी के पश्चात महिलाओ की दशा सुधारने के लिए भारतीय सविधान ने अनेक कानुनी अधिकार महिलाओ को प्रदान किये किन्तु अशिक्षा के चलते आज भी महिलाए अपने अधिकारो का प्रयोग पूर्ण और अधिकारीक रू‍प में करने में असमर्थ है।

सविधान के द्वारा प्रदत अधिकार

विधायी उपाय–सरकार ने अनेक विधायी उपायों द्वारा भी स्त्री की दशा में सुधार करने तथा उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिलवाने का प्रयास किया है। कुछ निम्नलिखित अधिनियम हैं जिनका अनुपालन न किया जाना दण्डनीय अपराध है–

1. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

2. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

3. कारखाना संशोधन अधिनियम, 1976

4. बाल–विवाह अवरोधक संशोधन अधिनियम, 1978

5. अनैतिक व्यापार निवारण कानून, 1986

6. दहेज निषेध संशोधन कानून, 1986

7. स्त्री का अभद्र चित्रण निषेध अधिनियम, 1986

8. कमीशन ऑफ सती निरोधक अधिनियम, 1987

9.मुस्लीम महिला अधिनियम 1986

सन् 1970 के दशक में नारी के विकासशील मुद्दों का केंद्र कल्याण पर सबसे अधिक बल दिया गया था जिसका प्रमुख उद्देश्य 80 के दशक में सम्पूर्ण क्षेत्र में विकास करना था। तत्पश्चात् 90 के दशक में सशक्तिकरण पर आधारित था। 21 वीं सदी में महिला उत्थान के मुद्दों में सर्वाधिक चर्चा महिला आरक्षण विधेयक पर हुई है। इसके अंतर्गत नारी को विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत इत्यादि राजनीतिक संस्थाओं में 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव है। जिससे नारी को ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक संस्थाओं में हिस्सेदार बनाया जा सके। किन्तु इस को भी स्वीकार करना पडेगा कि गत वर्षो में महिलाओं के अधिकारों का जितना उल्लंघन हुआ है शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ समाज व राज्य की विभिन्न गति विधियों में पर्याप्त सहभागिता के बावजूद इनके साथ अभद्र व्यवहार, घरेलू हिंसा एवं अन्य स्थानों पर होने वाली हिंसा में वृद्धि हुई है। इसमे शारीरिक, मानसिक व यौन शोषण भी शामिल हैं आये दिन अखबारों, टी वी चैनलों आदि पर महिलाओं के साथ बलात्कार, दहेज के लिये बहु को जलाना, बालिका भ्रूण हत्या, नौकरी के बहाने यौन शोषण जैसी अनेक घटनायें देखने को मिलती हैं। यह भी सच है कि आज की महिलाओं ने अपने आप को देश की मुख्य धारा में शामिल कर लिया है। परन्तु इस

विकास में उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मीडिया, समाज सुधार संस्थाएँ, सरकार, विपक्षी दल, प्रशासन, भारतीय फिल्मों का भी विशेष योगदान है। जिसने मानसिक तौर पर नारी को निरन्तर विकास की ओर गतिशील किया है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को समाज में सबसे ऊचाँ दर्जा दिया गया है भारत उन थोड़े देशों में से है जहाँ की संस्कृति और इतिहास में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। किन्तु विभिन्न कारणों से कालान्तर में भारतीय समाज में स्त्रियों की पारिवारिक, सामाजिक स्थिति निरन्तर कमजोर होती गई। और यह कमजोरी तभी दूर हो सकती है जब वैदिक काल के समान महिलाओ मे शिक्षा की जोत जाग्रत होगी यह जोत शहरी क्षेत्रो मे फिर भी दिखायी देती किन्तु ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर वह क्षेत्र जहॉ तकनीकि औरसंचार के साधनो का आज भीअभाव वहॉ जलाना आवश्यक है तभी महिलाये सशक्त होगी उनका सशक्तीकरण होगा।

सदंर्भ सूची

1 प्रभा आप्टे भारतीय समाज में नारी
2 जितेन्द्र कुमार पाण्डेय के अनुसार ''महिला सशक्तिकरण
3 आफिस ऑफ द युनाईटेड नेशसं हाई कमीशन फॉर हुयमन राइॅटस
4 शतपथ ब्राह्राण अच्युत ग्रथमालं वाराणसी
5 महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर
6 आशा रानी बोहरा भारतीय नारीःअस्मिता और अधिकार
7 एम.एन.श्री निवास कास्ट इन मॉर्डन इण्डिया
8 एम.आर.श्रीवास्तव भारतीय महिलाओ की वैधानिक स्थिति
9 डा उर्मिला मिश्रा प्राचीन भारत में नारी
10 अनविता आनन्द गुप्तकाल में नारी
11 आफिस ऑफ द युनाईटेड नेशसं हाई कमीशन फॉर हुयमन राइॅटस
12 शतपथ ब्राह्राण अच्युत ग्रथमालं वाराणसी
13 महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर

JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH